

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 8 / 2015-2020

दिनांक:- 24 जून, 2021

विषय: तूर के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन के अनुसार, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं:

(क) भारत 50,000 मीट्रिक टन तूर (पिजन पिज) का वार्षिक कोटा प्रदान करेगा जिसका अगले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से मलावी से आयात किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जनवरी में मलावी से भारत के लिए तूर (पिजन पिज) निर्यात जो उस समय तक किया गया है की कुल मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वार्षिक कोटा में कोई गिरावट होती है, तो भारत गणराज्य की सरकार किसी अन्य देश से आयात हेतु कम हुई मात्रा को जारी करेगी।

2. उपर्युक्त एमओयू के तहत आयात के लिए प्रक्रिया और तौर तरीके पृथक रूप से अधिसूचित किए जाएंगे।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल-से मार्च) के दौरान मलावी से 50,000 मीट्रिक टन तूर के आयात को भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न समझौता-ज्ञापन के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव
24/06/2021
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in